

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/4429-4468 दिनांक 02/7/2018

कोषाधिकारी
समस्त।


विषय:- आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस डीडीओं मास्टर में फीड किए जाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि डीडीओं मास्टर में आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस फीड किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन डीडीओं के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस डीडीओं मास्टर में फीड नहीं है उनके द्वारा पे-मैनेजर पर बिल नहीं बनाया जा सकता है।

अतः कोषालय/उपकोषालय के अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर डीडीओं मास्टर में उनके मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस फीड करवाया जाना सुनिश्चित करावे। इस आशय की सूचना कोषालय/उपकोषालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/

दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में पे-मैनेजर साईट पर न्यूज चलाई जाकर आहरण वितरण अधिकारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करावे।

Σ
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

www.rajteachers.com